20
अध्याय

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी

आईसीटी लैंडस्केप के विविधीकरण तथा डिजीटल इंडिया पहल के साथ सरकार के लिए यह नितांत आवश्यक हो गया है कि उपभोक्ताओं की बदलती हुई अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन लाया जाए। वर्ष 2019–20 में कोयला मंत्रालय ने एनआईसी के साथ अथक प्रयास करते हुए आईटी कार्य परिस्थितियों एवं सर्विस डिलीवरी में मानकीकरण एवं सुधार पर जोर देते हुए अग्रणी भूमिका निभाई है।

1. कोयला मंत्रालय में एनआईसी कोल कम्प्यूटर सेंटर डिलिवरिंग तथा सुरक्षित मल्टी–प्लेटफार्म कम्प्यूटर आधारित अनुप्रयोगों/समाधानों, डाटाबेस सपोर्ट, इंटरनेट, ई–मेल, नेटवर्क और विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं के लिए नवीनतम कंप्यूटर प्रणालियों से सुसज्जित है। कोयला मंत्रालय ने एनआईसी–मेघराज की क्लाउड सेवाओं को अपनाया है ताकि अवसंरचना का इष्टतम उपयोग तथा कोयला मंत्रालय के ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और विस्तार को गति प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।

2. सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम कोयला मंत्रालय का एक नवोन्मेषी प्रयास है ताकि कोयला खानों के शीघ्र परिचालन के लिए विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने के साथ–साथ एकल गेटवे के माध्यम से देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए एक प्लेटफार्म बनाया जा सके।

खनन योजना और खान बंद करने की योजना का अनुमोदन, खनन पट्टा प्रदान करना, पर्यावरण और वन मंजूरी, वन्य जीव मंजूरी, सुरक्षा, परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, श्रमिकों का कल्याण आदि जैसे विभिन्न सांविधिक प्रावधान कोयला खान शुरू करने के लिए पूर्वापेक्षाएं हैं।

ये मंजूरियां विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। कुछ मंजूरियों के अपने ऑनलाइन पोर्टल हैं; अभी भी ज्यादातर मंजूरियां ऑफलाइन माध्यम से दी जा रही हैं।

कोयला खान शुरू करने के लिए मंजूरी/अनुमति देने हेतु एकीकृत प्लेटफार्म की अनुपस्थिति में, आवश्यक मंजूरी के लिए आवेदन करने में परियोजना प्रस्तावकों को विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों में अलग–अलग संपर्क करना पड़ता है जिससे कोयला खानों के प्रचालन में देरी होती है।

इन सभी मंजूरियों की विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग एवं प्रक्रियाएं हैं। सांविधिक मंजूरियों की संख्या, इसे प्राप्त करने के लिए संबंधित अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावकों में जानकारी की कमी परियोजना प्रस्तावकों के लिए समस्या को और भी बढ़ा देती है। इसके प्रणामस्वरूप कोयला खानों के प्रचालन में देरी होती है।

भारत सरकार द्वारा कारोबार में सुगमता लाने की पहल के भाग के रूप में कोयला मंत्रालय ने एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एसडब्ल्यूसीएस) पोर्टल तैयार किया है, जो कोयला खान शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सांविधिक स्वीकृतियों (केंद्रीय मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों को शामिल करते हुए) का खाका तैयार करता है। पोर्टल को न केवल संबंधित आवेदन प्रारूपों का खाका तैयार करना है बल्कि अनुमोदन/मंजूरियां प्रदान करने के लिए प्रक्रिया प्रवाह का खाका भी तैयार करना है।

सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को परियोजना प्रस्तावकों की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि पिछली मंजूरियों/अनुमोदनों से आंकड़ों के ऑटो–फेच प्रावधान की विशेषता के साथ यूनिफाइड यूजर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों को विभिन्न मंजूरियों के लिए आवेदन दिया जा सके। परियोजना चरण–वार तरीके से विकसित की जा रही है, जहां वर्तमान में मंजूरी के चरण–II माड्यूल के प्रणाली अध्ययन के साथ–साथ चरण–I का विकास कार्य चल रहा है।

चरण–I में उपयोगकर्ता पंजीकरण मॉडयूल, कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक मॉड्यूल, अन्वेषण मॉडयूल, खान योजना मॉड्यूल, खान खोलने की अनुमति और विस्फोटक के भंडारण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी), वन मंजूरी (एफसी), स्थापना की सहमति, प्रचालन की सहमति, वन्य जीवन मंजूरी और विस्फोटक और सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के लिए अनुमति हेतु ''परिवेश'' के साथ डाटा एकीकरण को विकसित करना शामिल है।

चरण–I में निम्नलिखित मॉड्यूल पूरे कर लिए गए हैं:

क. रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल

ख. खान योजना मॉड्यूल

ग. पर्यावरण मंजूरी (ईसी), वन मंजूरी (एफसी), स्थापना की सहमति, प्रचालन की सहमति, वन्य जीवन मंजूरी के लिए ''परिवेश'' के साथ डाटा एकीकरण।

घ. सीबीए की धारा 7(1) के तहत अधिसूचना पर आपत्ति प्रस्तुत करना और इसके निष्पादन की सूचना (सीसीओ मॉड्यूल का भाग)

ड. ब्लॉक माड्यूल (विकास पूर्ण हो चुका है, यूएटी प्रगति में है)

परियोजना–II में भूमि अधिग्रहण माड्यूल, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, सुरक्षा प्रबंधन योजना (डीजीएमएस के साथ), नदी/नाला डायवर्जन, फैक्टरी अधिनियम, 1948 के तहत अनुमति, मजदूरी संबंधी अनुमति, सीसीओ के लिए कोयला माड्यूल की पुनः ग्रेडिंग, खनन योजना जीआईएस लोकेशन कैप्चर और डिस्प्ले शामिल है।

3. कोयला मदों के आयात के लिए ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करने के लिए आयातकों के लिए कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) का विकास प्रक्रियाधीन है। ऑनलाइन आंकड़े/जानकारी प्रस्तुत करने पर, सिस्टम एक आटोमेटिक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट करेगा।

   सीआईएमएस आयात किए जा रहे कोयले की विभिन्न श्रेणियों पर लगातार नजर रखने में सरकार को सक्षम बनाएगा और तदनुसार नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगा।

   सीआईएमएस में पूर्व के ऑनलाइन पंजीकरणों को देखने की भी सुविधा है। इसके अलावा, डीजीएफटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जमा नहीं किए गए अधूरे आवेदन भी समीक्षा और आगे की कार्रवाई के लिए सीआईएमएस में उपलब्ध हैं।

4. कोयला मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://coal.gov.in द्विभाषी, यूजर–फ्रेंडली है तथा इस पर सरल नैविगेशन से शीघ्र ही महत्वपूर्ण एवं नवीनतम अद्यतन सूचना प्राप्त की जा सकती है। क्लटर–फ्री रिस्पोंसिव डिजाइन से अन्त्य उपयोगकर्त्ताओं को साइट पर ही सभी हस्तचालित उपस्करों के बारे में सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वरिष्ठ अधिकारियों का ब्यौरा, मंत्रालय का संगठनात्मक ढ़ांचा, अधीनस्थ कार्यालयों के लिंक्स, नीतियों, वार्षिक रिपोर्टों, प्रकाशनों, अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं, पॉलिसियों, आरटीआई के प्रकटीकरण, नवीनतम घोषणाओं तथा पत्रों आदि जैसी समृद्ध अद्यतित विषय वस्तु साइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट सीएमएफ (सामान प्रबंधन ढांचा) के तहत विकसित की गई है, जीआईजीडब्ल्यू अनुपालित तथा एसटीक्यूसी द्वारा प्रमाणित है। ब्राउसर के साथ सुरक्षित सेशन के लिए सर्वर पर एसएसएल सर्टिफिकेट लगाए गए हैं।

5. मंत्रालय में कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। यह व्यापक एमआईएस कोयला क्षेत्र–उद्योग के सभी स्टेकधारकों, कोयला कंपनियों, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), राज्य सरकारों, मंत्रालयों/विभागों तथा कोयला मंत्रायल को जोड़ता है। विभिन्न राज्यों तथा/अथवा विभागों में लंबित मामलों वाली कोयला परियोजनाओं को इस प्रणाली में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर इन मुद्दों का गहन अनुवीक्षण, विचार–विमर्श और समाधान किया जाता है ताकि इस संबंध में संचयी सूचना प्रापण तथा निर्णय लेने में विलंब को दूर किया जा सके।

6. कोयला मंत्रालय में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से राज्यों, राज्यों से राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसियों (एसएनए) और एसएनए से उपभोक्ताओं की पारदर्शी तरीके से कोयले की निगरानी और आवंटन को कोयला आवंटन की निगरानी के लिए एक वेब–आधारित ऑनलाइन प्रणाली विकसित और अनुरक्षित की गई है। नई कोयला वितरण नीति, 2007 (एनसीडीपी) के अनुसार लघु और मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 8 मि.ट. कोयला प्रति वर्ष निर्धारित की गई है जिनकी आवश्यकता 10,000 टन प्रति वर्ष से कम है। इस क्षेत्र में रॉलिंग मिल, कुकरी, ईंट की भट्ठी, अग्निशमन, ग्लास, इंजीनियरिंग मशीनरी, वस्त्र/रेयान, पेपर, साबुन, लेदर इत्यादि सम्मिलित हैं। इस प्रणाली को शीघ्र निर्णय, पारदर्शिता स्थापित करने और सभी दूरस्थ स्टेकहोल्डर्स को एक साथ जोड़ने के लिए विभिन्न समृद्ध विशेषताओं के साथ विकसित और डिजाइन किया गया है।

7. मंत्रालय में फाइलों के अंतरण और प्राप्तियों की प्रभावी रूप से ऑनलाइन निगरानी करने के लिए वेब–आधारित प्रणाली ई–ऑफिस को कार्यान्वित तथा अनुरक्षित किया जाता है। ई–ऑफिस उत्पादन का उद्देश्य गवर्नेंस को अंतर और इंट्रा–सरकारी प्रक्रियाओं के लिए अधिक प्रभावी और पारदर्शी रूप में प्रारंभ करके सहायता प्रदान करना है। यह कोयला मंत्रालय में पूर्णतः कार्यात्मक है। मंत्रालय में किसी भी भौतिक फाईल का अंतरण नहीं होता है। ई–ऑफिस प्लेटफार्म में निरंतर कार्यचालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए गैर–एनआईसीएनईटी नोड्स/लैपटाप पर वीपीएन की व्यवस्था की गई है। सिस्टम एक्सेस के लिए मंत्रालय में सभी अधिकारियों को एनआईसी ई–मेल सुविधा प्रदान की गई है तथा मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को समय–समय पर आवश्यक प्रचालनात्मक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।

   मंत्रालय में ई–ऑफिस के कार्यान्वयन में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए कोयला मंत्रालय को डीएआरपीजी की ओर से पुरस्कृत किया गया था।

8. मंत्रालय कोयला खानों की स्टार रेटिंग हेतु एक वेब–पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया में है ताकि कोयला खानों की स्वःमूल्यांकन प्रणाली को लागू किया जा सके तथा बाद में इसकी समीक्षा कोयला नियंत्रक द्वारा नियुक्त समीक्षक द्वारा की जा सके। इसके अतिरिक्त सात मॉड्यूलों में व्यापक रूप से कवर किए गए विभिन्न कारकों के अंतर्गत सभी कोयला खानों का कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा वैधीकरण किया जा सके जो निम्नानुसार हैः (क) मापदंड से संबंधित खनन प्रचालन (ख) पर्यावरण संबंधित मापदंड (ग) प्रौद्योगिकियां अपनाना–सर्वोत्तम खनन पद्धति (घ) आर्थिक निष्पादन (ड़) पुर्नवास एवं पुनर्स्थापन मापदण्ड (च) कामगारों से संबंधित अनुपालन (छ) सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधित मापदण्ड। यह पोर्टल शीघ्र ही लाइव होगा।

9. कोयला उत्पादन, ऑफटेक आदि की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए कोयला दर्पण (कोयला डैशबोर्ड) तैयार किया गया है। अन्य शामिल की गई मदें निम्नानुसार हैं: (क) कोयला अन्वेषण (ख) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें (ग) थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला स्टॉक की स्थिति (घ) अवसंरचना परियोजनाएं (ड.) खानों का आवंटन (च) प्रमुख कोयला खानों की निगरानी (छ) कोयला मूल्य।

10. प्रभावी निर्णय लेने, नजर रखने, सूचना साझा करने और क्रॉस फंक्शनल लर्निंग के लिए कोयला मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों को सौंपी गई प्रमुख परियोजनाओं, कार्यों और गतिविधियों के रियल टाइम प्रबंधन के लिए कोल टास्क मास्टर पोर्टल बनाया गया है।

11. कोयला मंत्रालय में ई–एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) को कार्यान्वित किया गया है। इसके तहत मंत्रालय के कर्मचारी एक ही प्लेटफॉर्म पर न केवल सेवा पंजिका, अवकाश आदि से संबंधित अपना ब्यौरा देख सकता है बल्कि दावों/प्रतिपूर्तियों, ऋण/अवकाश, अवकाश नकदीकरण, एलटीसी एडवांस, टूर आदि के लिए भी आवेदन कर सकता है। कर्मचारी डाटा अद्यतन के लिए प्रशासन पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि वे अपने लॉगिन आईडी के साथ अपने आप डाटा अद्यतन कर सकते हैं बशर्ते संबंधित प्रशासन द्वारा डाटा सत्यापित

किया गया हो। वे अपनी स्थिति का पता लगा सकते हैं और अपने ब्यौरे का तुरंत मिलान कर सकते हैं। प्रारंभ में अवकाश प्रबंधन प्रणाली, ई–सेवा पंजिका जैसी प्रक्रिया स्वचालित की गई है।

12. मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न कोयला पीएसयू के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने एवं बोर्ड बैठकों के लिए मंत्रालय में स्थापित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का व्यापक रूप से प्रयोग कर रहा है। कोविड–19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में एनआईसी ने कोयला मंत्रालय में अधिकारियों के लिए व्यापक वीडियो कांफ्रेंस का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस सुविधा का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वी.सी. बैठक के दौरान 'प्रगति' पर सफलतापूर्वक प्रयोग भी किया जा रहा है।

13. मंत्रालय में दैनिक कार्यो के लिए निम्नलिखित कुछ मुख्य ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं: सभी अधिकारियों के लिए बायोमैट्रिक अटेन्डेंस सिस्टम, एसपीएआरआरओडब्ल्यू, निविदा प्रकाशन हेतु ई–विजिटर, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर तथा वार्षिक रिटर्न प्रणाली, पे–रोल हेतु पीएफएमएस।

14. मंत्रालय में ई–गवर्नेंस एप्लीकेशन को कार्यान्वित किया गया है जो इस प्रकार हैं–आरटीआई मामलों की देखरेख हेतु आरटीआई एमआईएस, एसीसी रिक्तियों की मॉनीटरिंग के लिए एवीएमएस, लोक शिकायतों के लिए सीपीजीआरएएमएस और संसदीय प्रश्न तथा अनुपूरक एमआईएस।